पत्र सं0-विधि 4(2)-Mission Shakti Logo- /2020-21/ 342 /2021022 /वाणिज्य कर।

कार्यालय:-कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

(विधि अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक :: 16 अक्टूबर, 2020

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

कृपया उत्तर प्रदेश में महिला और बालिकाओं की सुरक्षा व सम्मान को समर्पित 180 दिन का महत्वपूर्ण मिशन शक्ति अभियान शनिवार दिनांक 17-10-2020 शारदीय नवरात्र से प्रारम्भ होकर वासंतिक नवरात्र तक चलेगा। महिलाओं व बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन, महिला अपराध व बाल अपराध के सम्बन्ध में जागरुकता पैदा करने के लिए हर माह एक सप्ताह के विशिष्ट कार्यक्रम आयोजित किये जाएंगे। 180 दिवसीय इस अभियान के दौरान प्रदेश के सभी 75 जिलों, 521 ब्लाकों, 59000 पंचायतो, 630 शहरी निकायों व 1535 थानों के माध्यम से महिलाओं व बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनने का प्रशिक्षण, सुरक्षा व सम्मान के प्रति जागरुक किया जाएगा। प्रथम चरण में इस अभियान को जागरुकता आधारित रखा जाएगा, द्वितीय चरण को मिशन शक्ति के इन्फोर्समेन्ट (क्रियान्वयन) पर बल दिया जाएगा। सभी विभाग "कन्वर्जेंस मॉडल" के माध्यम से इस विशेष अभियान में सहयोग प्रदान करेंगे।

अभियान के अन्तर्गत स्थानीय स्तर पर सामाजिक संगठन, विभिन्न महिला संगठनों, मीडिया तथा जागरुक समाज सेवियों के एक समिति बनाकर विभिन्न रोल मॉडल का चयन किया जाएगा, जिसमें ऐसी महिलाओं का चयन किया जाएगा जोकि विभिन्न क्षेत्रों में समाज के लिए एक प्रेरणा बनी हैं तथा विशिष्ट क्षेत्रों में उद्देश्यों के लिए प्रयास कर सफलता पाई है। उदाहरण स्वरुप ऐसी महिलाएं व बालिकाएं जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों जैसे-महिला सशक्तिकरण , भ्रूणहत्या रोकने सम्बन्धी अभियान, उद्यमिता, शिक्षा, महिला अपराध रोकने इत्यादि क्षेत्रों में सफलता पाकर जनपद व प्रदेश के लिए रोल मॉडल बनी हैं, प्रत्येक जनपद से 100 रोल मॉडल का चयन किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त लैंगिक आधारित संवेदीकरण, ध्वनि संदेश, साक्षात्कार, प्रशिक्षण, दुर्गा पूजा पण्डालों में कार्यक्रम, थानों पर कार्यक्रम तथा ग्रामीण स्तर पर जागरुकता उत्पन्न किये जाने सम्बन्धी कार्यक्रम आयोजित किये जाएंगे। विभिन्न विभागों द्वारा विभिन्न स्तरों पर शासन द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं में लाभार्थियों का चयन एवं प्रशिक्षण के कार्यक्रम चलाएं जाएंगे।

महिला एवं बाल अपराध की निगरानी के लिए जिला स्तर पर सक्रिय कमेटिओं का गठन किया जाएगा जिससे पॉक्सो व महिला अपराध से सम्बन्धित वादों के न्यायालय से निस्तारण को प्राथमिकता दी जाए।

मिशन शक्ति की प्रमुख विशेषताए :-

1- प्रदेश की समस्त महिलाओं व बलिकाओं में सुरक्षा की भावना जागृत करना।

2- इसमें प्रदेश सरकार के विभिन्न विभाग उदाहरण- प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा विभाग व अन्य विभाग "कन्वर्जेंस मोड" में कार्य करेंगे।

3- प्राइवेट ऑपरेटर भी सक्रिय योगदान देंगे। ओला, ऊबर जैसे निजी परिवहन तंत्र भी इसमें प्रतिभाग करेंगे।

4- मिशन शक्ति के अन्तर्गत सरकार विभिन्न आयोजन जैसे- लघु फिल्म, नुक्कड़ नाटक, सुरक्षा वचन, महिला कानूनों के माध्यम से महिलाओं में जागरुकता पैदा करने का प्रयास करेंगे।

5- वीमेन पॉवर लाइन 1090, यूपी 112 द्वारा एकीकृत रुप से काम करते हुए पीड़ित महिला की शिकायतों का जल्द निस्तारण।

6- प्रत्येक थाने में "महिला हेल्पडेस्क" स्थापित किया जाना एक अच्छी पहल है और इसे राज्य के समस्त 1535 थानों में स्थापित किया जाएगा। प्रत्येक थाने में एण्टी रोमियों स्क्वाड द्वारा अभियान चलाया जाएगा। विशेष अभियान को और अधिक प्रभावी एवं व्यापक बनाए जाने हेतु इच्छित निजी संस्थाओं तथा जनपदों में उपलब्ध संस्थाओं को जोड़ा जाएगा।

7- प्रत्येक जनपद में विशेष अभियान के पर्यवेक्षण और अनुश्रवण हेतु जनपदवार महिला नोडल अधिकारी को नामित किया गया है। नोडल अधिकारी 16 अक्टूबर को ही अपने प्रभार के जनपद में उपस्थित होकर अगले तीन दिवस जनपद में होने वाले कार्यक्रमों में भाग लेंगे तथा जनपद स्तर पर अन्तर्विभागीय समीक्षा की बैठक में भी भाग लेकर विशेष अभियान को सफल बनाने का पूरा प्रयास करेंगे।

इस सम्बन्ध में आपसे अपेक्षा की जाती है कि मिशन शक्ति को सफल बनाने के लिए प्रयासरत रहें। विभिन्न व्यापारिक संगठनों, बार एसोसिएशन के माध्यम से मिशन शक्ति का प्रचार-प्रसार करें, अपने कार्यालय में कार्यरत महिला अधिकारी/कर्मचारी को रोल मॉडल के रुप में चुने जिनके माध्यम से मिशन शक्ति का प्रचार-प्रसार किया जा सके।

उक्त पत्र के साथ आपको एक पैंफ्लेट प्रेषित किया जा रहा है जिसका प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करें।

संलग्नक :-यथोपरि।

(अमृता सोनी)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

मिशन शक्ति

नारी सुरक्षा, नारी सम्मान

हेल्पलाइन 1090 · 108 · 112 · 181 · 182 · 1098